विचार बिन्दु

सुधार के बिना पश्चाताप ऐसा है जैसे सुराख़ बंद किये बिना जहाज में से पानी निकालना। –पामर

सीवर लाइनों की सफाई अब भी जानलेवा: सरकार सीरियस क्यों नहीं है?

22 मई 2025 को राजस्थान के बीकानेर में एक हृदयविदारक घटना ने देशभर का ध्यान हमारी ओर खींचा, और यह ध्यानाकर्षण कलंक का कारक बना। करणी औद्योगिक क्षेत्र में भवानी वूलन मिल के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान तीन सफाई कर्मचारी–अनिल कुमार चांगरा (36), सागर राज लखन (30), और गणेश (28)– जहरीली गैस की चपेट में आकर दम घुटने से मर गए। यह हादसा उसी दिन हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस घटना ने राजस्थान का सिर शर्म से झुका दिया। इस घटना ने मैनुअल स्कैवेंजिंग की जानलेवा परिस्थितियों, सुरक्षा उपायों की कमी, और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया। वैसे यह कोई नई समस्या नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रदेश में ऐसी घटना का होना बहुत चिन्ताजनक है। देखना है राज्य सरकार इससे क्या सबक लेती है। यूं राजस्थान और देश के अन्य विकसित राज्यों में ऐसी घटनाएँ बार–बार सामने आती रहती हैं, जो सामाजिक उदासीनता, आर्थिक शोषण, और तकनीकी पिछड़ेपन को दर्शाती हैं।

बीकानेर की घटना के इर्द–गिर्द सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सामाजिक दृष्टिकोण, मैनुअल सफाई की निरंतरता, ठेकेदारों की जवाबदेही, भारत में रोबोटिक क्लीनिंग, विदेशी प्रथाएँ, सरकारी सहायता, और समाधान के सुझावों सब को देखने–परखने की जरूरत है। राजस्थान में मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान होने वाली मौतें एक गंभीर संकट हैं। बीकानेर की घटना से पहले, 2025 में जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में को चार सफाई कर्मचारियों की सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मौत हुई थी। डीग में भी तीन मजदूरों की जान गई थी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2023 तक देशभर में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 377 लोग मरे, जिनमें राजस्थान का हिस्सा उल्लेखनीय था। बीकानेर में पुलिस की प्रारंभिक जाँच के अनुसार, सेप्टिक टैंक में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जहरीली गैसों की उच्च मात्रा थी। मजदूरों को बिना मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, या सुरक्षात्मक सूट के उतारा गया। एक मजदूर के बेहोश होने पर दो अन्य उसे बचाने उतरे, लेकिन वे भी गैस की चपेट में आ गए। यह लापरवाही ठेकेदारों, फैक्ट्री मालिकों, और प्रशासन की उदासीनता को दर्शाती है, जो 2013 के मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम का उल्लंघन है।

देश के अन्य कथित तौर पर विकसित राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, और दिल्ली में भी स्थिति चिंताजनक है। महाराष्ट्र में 2021–2024 के बीच 18 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई, जैसा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की सामाजिक ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज है। मुंबई में 2022 में तीन मजदूरों की सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मौत हुई। स्वयं प्रधानमंत्री के गृहराज्य गुजरात में अहमदाबाद और सूरत में 2023–2024 में 12 मौतें हुईं। तमिलनाडु में चेन्नई में 2024 में दो मजदूरों की मौत हुई। कर्नाटक में बेंगलुरु में 2023 में तीन मजदूर मरे। दिल्ली में 2024 में चार ऐसी घटनाएँ दर्ज हुईं। इन राज्यों में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर कानूनी प्रतिबंध के बावजूद, प्रशासनिक लापरवाही और सामाजिक आर्थिक असमानताएँ इसे बनाए रखती हैं। सवाल है सफाई कर्मचारियों के प्रति समाज का सम्मानजनक नजरिया क्यों नहीं बन रहा? इसका मूल कारण भारत की जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव है। सफाई कर्मचारी अधिकतर दलित समुदायों से हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से 'अछूत' माना गया। यह मानसिकता आज भी समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए है, जिसके कारण सफाई के काम को निम्न और अपमानजनक समझा जाता है। लोग सफाई कर्मचारियों को सम्मान देने के बजाय उनके काम को उनकी 'जातिगत नियति' मान लेते हैं।

स्कूलों, मीडिया, और सामाजिक संवाद में इस भेदभाव को खत्म करने के प्रयास नगण्य हैं। दूसरा, मध्यम और उच्च वर्ग का स्वार्थी दृष्टिकोण भी जिम्मेदार है। लोग सस्ते और त्वरित समाधान के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्राथमिकता देते हैं, बिना मजदूरों की जान की परवाह किए। तीसरा, जागरूकता की कमी है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि मैनुअल स्कैवेंजिंग गैरकानूनी है और इसके खतरनाक परिणाम हैं। लोग मैनुअल सफाई क्यों कराते या होने देते हैं यह भी समझना जरूरी है, इसका पहला कारण आर्थिक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग मशीनों की तुलना में सस्ता है। निजी घरों, छोटे उद्योगों, और यहाँ तक कि नगरीय निकाय भी लागत बचाने के लिए मजदूरों को बिना उपकरणों के खतरनाक काम में उतारते हैं। दूसरा, पुराने सीवर और सेप्टिक टैंक डिज़ाइन मशीनों के उपयोग को मुश्किल बनाते हैं। तीसरा, ठेकेदार और मालिक जानबूझकर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं, क्योंकि सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध है। चौथा, समाज में नैतिक जवाबदेही की कमी है। लोग यह मानते हैं कि यह मजदूरों का काम है, और उनकी मौतों को 'दुर्भाग्य' मानकर भुला दिया जाता है। अब यह भी देखने वाली बात है कि सफाई कर्मचारी और ठेकेदार सावधानी क्यों नहीं बरतते? सफाई कर्मचारियों के मामले में, गरीबी और बेरोजगारी उन्हें मजबूर करती है। अधिकांश अनुबंधित मजदूर हैं, जिन्हें न नौकरी की सुरक्षा है, न प्रशिक्षण, और न ही सुरक्षा उपकरण। वे ठेकेदारों के दबाव में बिना सवाल उठाए खतरनाक काम करते हैं। ठेकेदारों की लापरवाही का कारण मुनाफा है। वे सुरक्षा उपकरणों, प्रशिक्षण, या मशीनों पर खर्च करने से बचते हैं।

बीकानेर की घटना सामाजिक असमानता, आर्थिक शोषण, और तकनीकी पिछड़ेपन का प्रतीक है। जब तक मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए ठोस प्रयास नहीं होंगे, ऐसी त्रासदियाँ जारी रहेंगी। समाज, सरकार, और निजी क्षेत्र को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और अनिल, सागर, या गणेश अपनी जान न गँवाए।

बीकानेर की घटना में ठेकेदार ने मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा के टैंक में उतारा, जो PEMSR अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। बिना समुचित उपकरणों के मजदूरों को काम पर लगाने वाले ठेकेदारों का क्या होता है? कानूनी रूप से, PEMSR अधिनियम के तहत ठेकेदारों पर जुर्माना और सात साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, वास्तविकता में कार्रवाई कम होती है। बीकानेर में ठेकेदार और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन ऐसी घटनाओं में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 2019–2023 के बीच देशभर में केवल 15ङ्ग मामलों में ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई। इसका कारण प्रशासनिक ढिलाई, भ्रष्टाचार, और प्रभावशाली ठेकेदारों का दबाव है। कई मामलों में, ठेकेदार मामूली जुर्माना देकर बच निकलते हैं। भारत में रोबोटिक क्लीनिंग की स्थिति अभी प्रारंभिक चरण में है। कुछ शहरों में प्रयोग हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, केरल के तिरुवनंतपुरम में 2021 में 'बैंडिकूट' नामक रोबोट का उपयोग मैनहोल सफाई के लिए शुरू हुआ। यह रोबोट मलबा हटाने और गैस का पता लगाने में सक्षम है। चेन्नई और दिल्ली में भी इसे आजमाया गया। 2024 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 शहरों में रोबोटिक सफाई के पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए। हालांकि, बड़े पैमाने पर इसका उपयोग नहीं हो रहा। कारण हैं– उच्च लागत (एक रोबोट की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपये), रखरखाव की जटिलता, और पुराने सीवर सिस्टम की असंगति। प्रशिक्षित ऑपरेटरों की कमी और सरकारी निवेश की कमी भी बाधाएँ हैं। फिर भी, स्टार्टअप्स जैसे जेनरोबोटिक्स और मद्रास के शोधकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं।

विदेशों में मैनुअल स्कैवेंजिंग लगभग समाप्त है। जापान में टोक्यो में सेंसर और कैमरे वाले रोबोट्स सीवर सफाई करते हैं। जर्मनी में आधुनिक सीवर डिज़ाइन और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य हैं। अमेरिका में हाई–प्रेशर जेट मशीनें और वैक्यूम ट्रक उपयोग होते हैं। मलेशिया में सरकार उपकरणों पर सब्सिडी देती है। इन देशों में कड़े श्रम कानून और तकनीकी नवाचार मैनुअल सफाई को अनावश्यक बनाते हैं। भारत में ऐसी तकनीक उपलब्ध है, लेकिन लागत और इच्छाशक्ति की कमी बाधक है। मृतकों के परिवारों को सरकारी सहायता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश के अनुसार 30 लाख रुपये मुआवजा, और स्थायी अक्षमता के लिए 20 लाख रुपये दिए जाने चाहिए। बीकानेर में प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये और एक परिजन को सरकारी नौकरी की घोषणा हुई।

कोलकाता में 2025 में तीन मौतों के बाद 10 लाख रुपये प्रारंभिक मुआवजा घोषित हुआ। हालांकि, मुआवजा अक्सर देरी से मिलता है, और परिवारों को कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। NCSK स्वतः संज्ञान लेता है, लेकिन प्रक्रिया धीमी है। इस व्यवस्था में दोष कई स्तरों पर है। स्थानीय प्रशासन और नगरीय निकाय PEMSR अधिनियम लागू करने में विफल हैं। ठेकेदार और निजी कंपनियाँ मुनाफे के लिए सुरक्षा की अनदेखी करती हैं। सामाजिक संरचना दलित समुदायों को शोषित करती है। सरकारों में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। सरकारी कदमों में राजस्थान में 54 शहरों के लिए सफाई मशीनों की मंजूरी, छह नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, और केंद्र की 'सफाईमित्र सुरक्षा चुनौती' शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया, लेकिन प्रगति धीमी है। मशीनरी से सफाई न होने के कारणों में उच्च लागत, प्रशिक्षण की कमी, और पुराने सीवर सिस्टम हैं। सफाई कर्मचारियों की माँगें हैं–नियमित वेतन, सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य बीमा, स्थायी नौकरी, और मैनुअल स्कैवेंजिंग का अंत। सहारनपुर और बीकानेर में धरनों में ये माँगें उठीं।

सुझाव निम्नलिखित हैं:–

पहला, PEMSR अधिनियम का कड़ाई से पालन हो, उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई हो। दूसरा, रोबोटिक और हाई–प्रेशर मशीनों का उपयोग अनिवार्य हो। तीसरा, सीवर सिस्टम अपग्रेड हों। चौथा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण और उपकरण मिलें। पाँचवाँ, वैकल्पिक रोजगार के अवसर बनें। छठा, सामाजिक जागरूकता अभियान चलें। सातवाँ, मुआवजा समय पर मिले। आठवाँ, राष्ट्रीय नीति बने। बीकानेर की घटना सामाजिक असमानता, आर्थिक शोषण, और तकनीकी पिछड़ेपन का प्रतीक है। जब तक मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए ठोस प्रयास नहीं होंगे, ऐसी त्रासदियाँ जारी रहेंगी। समाज, सरकार, और निजी क्षेत्र को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और अनिल, सागर, या गणेश अपनी जान न गँवाए।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र मोहन शर्मा,
वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिन्तक

आओ जरा कश्मीर समस्या को समझने का करें प्रयास– 1

महावीर सिंह

7 से 10 मई 2025 के तीन दिवसीय भारत–पाक संघर्ष ने बहुत सी खबरिया चैनल्स को कश्मीर मुद्दे पर सही, गलत, भ्रामक तथ्यों को जनता को परोसने का मौका दे दिया। बेसिर–पैर की अनेकों बातों पर प्राइम टाइम में आधी–अधूरी जानकारी वाले पार्टी प्रवक्ताओं को बैठा कर जनता को भ्रमित किया या यों कहें मनोरंजन किया। कुछ प्रवक्ता तो नेहरू और माउंटबैटन दंपति के घनिष्ठ पारिवारिक रिश्तों पर टिप्पणी करने से नहीं चुके। वे सब कुछ भ्रम में ही छोड़ गए क्योंकि घटिया प्रवक्ता, पत्रकार, अक्सर इन रिश्तों को वहां तक ले जाते है जो मैं नहीं लिख सकता।

जैसा कि हम सब जानते है द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटिश सरकार की वो हैसियत नहीं रही की वह उपनिवेशों को ओर अधिक समय अपने अधीन रख सके। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक व राजनीतिक हैसियत स्थिति निम्नतम बिंदु पर थी। जिन मूल्यों को आगे रखकर विश्व के देश ब्रिटेन की अगुवाई में युद्ध लड़ रहे थे उनमें जनतांत्रिक मूल्य, उपनिवेश स्वतंत्रता भी शामिल थे। ओर सबसे ऊपर भारतीयों की राजनीतिक चेतना, असंतोष, जन आंदोलनों ने ब्रिटेन को यह निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया कि भारत को स्वतंत्र करना ही पड़ेगा और किया जाएगा।

इसके लिए, ब्रिटिश संसद में 17 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पारित किया। इस एक्ट का सार यह था कि ब्रिटिश सरकार के सीधे अधीन भारतीय भू भाग का धार्मिक आधार पर दो अलग डोमिनियनस (अधिराज्य) के रूप में बंटवारा किया जाएगा। इतिहास में इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें ही धर्माधारित विभाजन का उल्लेख है।

मोहमद अली जिन्ना की अलग मुस्लिम धर्म आधारित बहुसंख्यक राज्य की मांग और ब्रिटेन की कुटिल नीतियों के चलते भारत का विभाजन हुआ।नए देशों की सीमाएं तय करने का काम ब्रिटेन के एक वकील रेडक्लिफ को सौंपा गया। उन्होंने बहुत सी जनभावनाओं को अनदेखा कर 2, 3 माह की अल्पावधि में ही, मोटे रूप से दोनों देशों भारत और पाकिस्तान की सीमाएं तय कर दी। मुस्लिम बहुल्य इलाके पाकिस्तान में शामिल किए और ब्रिटिश भारत के शेष इलाकों को भारत डोमिनियन बना।

लेकिन पूरे भारत पर ब्रिटेन का सीधा शासन नहीं था। 565 देशी राज्य थे जिन की ब्रिटेन की सरकार के साथ विभिन्न संधियां थी। इन संधियां के अनुसार उनके आपसी संबंध क्रियान्वित होते थे। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार यह रियासतें आगे के लिए अपने निर्णय अपने स्तर पर लेने के लिए स्वतंत्र हो गई। वे भारत,पाकिस्तान के साथ जुड़ सकती थी या स्वतंत्र रह सकती थी।

देसी रियासतों में भी समानांतर रूप से आजादी का आंदोलन सक्रिय रूप से चल रहा था। इस कारण देशी रियासतें चाह कर भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती थी। अधिसंख्य देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया में, स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेता व उस समय देश के उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने देसी रियासतों के राजाओं के साथ सतत संपर्क रख कर, वार्ताएं करके उन्हें समझाने का प्रयास किया कि उनके लिए, किसी भी दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि जनता चाहती है कि उनका विलय भारत में हो। इसलिए अधिकांश देसी रियासतों में भारत संघ में शामिल होने का निर्णय किया। इसके लिए उन्हें उनकी परिसंपत्तियों, जमीनों को रखने की बहुत सी छूटें दी गई। उनकी शानशौकत बनी रहे इसके लिए सालाना परवीपर्स दिया गया व उनकी राजा महाराजा की उपाधियां कायम रखी गई।

अधिकांश रियासतों में स्थानीय जनसंख्या की आशाओं के अनुरूप भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गई। कश्मीर, जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर, त्रावनकोर जैसी कुछ रियासतों ने कुछ हिचकिचाहट दिखाई। इन में से कश्मीर को छोड़ कर शेष सारी रियासतें हिंदू बहुल्य जनसंख्या वाली थी। इन सबके शासकों को सरदार पटेल की निरंतर समझाइश व जनता के आक्रोश, दबाव, इच्छा के आगे इनके शासकों को भारत संघ में शामिल होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने ही पड़े। भोपाल के नवाब को माउंटबेटन में एक पत्र लिखा था जिसका सार था कि कोई भी देशी शासक अपने समीप वाले अधिसंख्य डोमिनियन से भाग नहीं सकता। सारे देशी राजाओं के यह बात समझ में आ गई और अनिच्छुक होते हुए भी उन्हें भारत के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने ही पड़े। जूनागढ़, हैदराबाद के नवाबों में कुछ विलंब किया किंतु आंतरिक जन असंतोष व कुछ बल प्रयोग से प अंततोगत्वा इनका भी, क्रमशः20–2–1948 व 13–9–1948 को भारत में विलय हो गया। जूनागढ़ के नवाब में तो पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे किंतु जनाक्रोश के आगे नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा। भारत में एक तरह का जनमत संग्रह करा कर जूनागढ़ का भारत में विलय किया। पाठकों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि त्रावनकोर व जूनागढ़ की एक सीमा समुद्र से लगती थी अर्थात यह रियासतें पूर्ण रूप से भारत से घिरी हुई नहीं थी।

कश्मीर का मुद्दा थोड़ा जटिल था––शासक हिन्दू था और अधिसंख्य जनसंख्या मुस्लिम धर्म में आस्था रखने वाली थी। कश्मीर के शासक की इच्छा स्वतंत्र रहने की थी। उन्होंने मोन रहने की स्थिति अपनाई हुई थी। पाकिस्तान भी उनको मना रहा था कि वे पाकिस्तान में शामिल हों। पाकिस्तान की इच्छानुसार पाकिस्तान में शामिल नहीं होने पर पाकिस्तान में पश्चिमी कश्मीर के कबाइली इलाकों के कबाइलियों को हथियारबंद किया और अपनी सेना की सुरक्षा में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कबाइली आक्रमणकारी श्रृंगार के आत्मीय पहुंचने पर राजा हरि सिंह के हाथपांव फूल गए। उन्होंने भारत सरकार से सहायता और सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्हें स्पष्ट किया गया कि बिना विलय के सहायता संभव नहीं है। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए और 27 अक्टूबर को विमानों के जरिए भारतीय सेना श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी। कबाइलियों को पीछे धकेलना शुरू किया । यह भी तथ्य है कि तब तक कश्मीर के एक बड़े हिस्से (बाल्टिस्तान, गिलगित आदि)

जिसे आज हम – पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उस पर पाकिस्तानी सेना काबिज हो चुकी थी। भारत के पास कश्मीर का लगभग 40–45 प्रतिशत भूभाग व 70 प्रतिशत आबादी भारत में है। 20 प्रतिशत भूमि अक्साई चीन की भूमि 1950 से ही चीन के कब्जे में है। शाक सांग घाटी का ट्रांस काराकोरम की 10 प्रतिशत भूमि पाकिस्तान ने चीन को दे दी अर्थात अवैध कब्जे का अवैध हस्तांतरण। इस से पाकिस्तान में, भारत के लिए एक अनावश्यक कठिनाई ओर उत्पन्न कर दी। 20 से 30 प्रतिशत भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में है।

26––27 अक्टूबर 1947 से आगे की कश्मीर की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में.....।

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण का शंखनाद

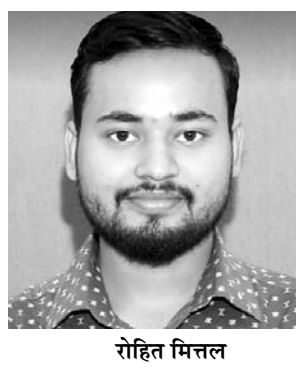

रोहित मित्तल

जिस राजस्थान का पूरा इतिहास जल को सहेजने का रहा, वह कुछ सालों से इस परम्परा से विमुख हो गया और इसकी भारी कीमत हम सबको चुकानी पड़ी। जल संकट का मूल कारण जल की कमी नहीं, कुप्रबंधन है क्योंकि जल तो सीमित है, उसकी मात्रा बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है लेकिन बेहतर प्रबंधन हम सब कर सकते हैं और सदियों से करते आए हैं। जल केवल एक तत्व नहीं, यह पृथ्वी की धमनियों में बहता जीवन है। जब यही जल संकट के कगार पर हो तो उसकी रक्षा केवल शासन–प्रशासन नहीं, पूरा समाज करता है। इसी दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शंखनाद किया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार के जल संरक्षण के प्रयास जनसंकल्प में बदल रहे हैं। राजस्थान की धरा, जहां कभी रेत की परतों में जीवन की प्यास छुपी रहती थी, आज जल संरक्षण की एक नई चेतना से जागृत हो रही है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 जून से शुरू होकर 20 जून तक विविध एवं विस्तृत गतिविधियां की जा रही हैं। राज्य के सभी जिलों में किसी एक महत्वपूर्ण जल स्त्रोत से इस अभियान की शुरूआत हुई। धौलपुर जिले में ऐतिहासिक तालाब ए शाही झील से अभियान का शुभारंभ हुआ। यह अभियान मात्र एक संयोग नहीं बल्कि इतिहास और भविष्य के संगम का प्रतीक है। एक नई जल संस्कृति का उदय, जहां परंपरा, पर्यावरण और प्रशासन मिलकर जल की हर बूंद को जीवन समझते हैं।

वंदे गंगा, जल से जुड़ती जन–चेतना : यह अभियान एक आत्मिक स्पंदन है। यह उस समाज को जाठात करने का यत्न है, जो वर्षों से जल को सहेजता आया है, और अब उसके महत्व को गंभीरता से समझने लगा है। गांवों की चौपालों में, विद्यालयों के प्रांगण में, खेतों के किनारे और झीलों के घाटों पर पौधे रोपे जाएंगे, कहीं अमृत सरोवरों की गाद निकाल कर उन्हें नया जीवन दिया जाएगा, कहीं स्कूली बच्चों की प्रभात फेरियों में जल संरक्षण के स्वर गूंजेंगे। यह आंदोलन जल स्त्रोतों की तलहटियों से उठी वह सच्चाई है, जो हमें स्मरण दिलाएगी कि जल केवल पीने की वस्तु नहीं, जीने का दर्शन है।

तालाब–ए–शाही से उठती वंदे गंगा जल संरक्षण की पुकार :

एक सभ्यता तब तक जीवित रहती है, जब वह अपने अतीत से संवाद बना कर, उससे प्रेरणा और सीख लेकर, गलतियां सुधार कर अपने वर्तमान से बेहतर कल का वादा करे न करे, कम से कम उस बेहतर भविष्य की आस अपने आने वाली पीढ़ियों की धमनियों में सतत बहने की गारंटी लिख दे।

ऐसे में तालाब ए शाही से प्रारंभ वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान महज एक प्रशासनिक प्रयास नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक जागरण की शुरुआत है। इससे तत्काल न तो जल समस्या का समाधान होगा, न यकायक भू–जल स्तर बढ़ जाएगा लेकिन बढ़ जाएगा एक विश्वास कि यह धरा हम सब की मां है और जिस प्रकार यह हम सब का ख्याल रखती है, पालन–पोषण करती है, इसे कोई जरूरत पड़े तो समाज, सरकार, नारी शक्ति, युवा शक्ति एक–दूसरे का मुंह नहीं ताकते, मिलकर सेवा करते हैं, एक परिवार का आभास करवाते हैं।

तालाब–ए–शाही, आज फिर एक नई भूमिका में हमारे समक्ष है। अतीत में जहां यह शाही विश्रामगृह और शिकार स्थल था, वहीं आज यह जल संरक्षण की चेतना का प्रतीक बन रहा है। लगभग चार सौ वर्ष पुराना यह जल स्त्रोत न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है बल्कि आज भी हजारों किसानों की आजीविका, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता का आधार बना हुआ है।

तालाब ए शाही जहां इतिहास और जल संरक्षण एक साथ बहते है : झील कभी शाही शिकारगाह रही है। लाल बलुआ पत्थरों से बना शाही महल, झील के किनारे बनी राजा–रानी की बैठक, यहां के कुछ विशेष आकर्षण हैं। आज वही तालाब ए शाही आधुनिक राजस्थान में 3681 किसानों की 410 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का आधार बन चुका है। सर्दियों में इस झील की प्रवासी पक्षियों से भरी जीवन्तता और नहरों से बहता सिंचित जीवन के कारण धौलपुर जिले में वंदे गंगा अभियान का शुभारंभ यहीं से हो रहा है। जल के साथ अन्य पहलुओं को समाहित करता यह व्यापक अभियान उन सैकड़ों सूखते तालाबों, गाद से पट चुके अमृत सरोवरों और उपेक्षित जल स्त्रोतों को पुनः जीवंत करने का प्रयास है, जिन्हें कभी हमारी सभ्यता की आत्मा कहा जाता था। अभियान के अंतर्गत गाद निकासी, पौधारोपण, परिंडे बांधने, श्रमदान और जनसहभागिता जैसी गतिविधियां केवल क्रियात्मक उपाय नहीं हैं; वे उस चेतना का पुनर्निर्माण हैं, जो आधुनिकता की दौड़ में हमने खो दी थी। राज्य सरकार की यह पहल सराहनीय है कि जल संरक्षण को केवल योजनाओं तक सीमित न रखकर उसे जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। विद्यालयों, पंचायतों, सामाजिक संस्थाओं और आम जन को इससे जोड़कर जिस सामाजिक सहभागिता की नींव रखी जा रही है, वह दीर्घकालीन परिवर्तन की आशा जगाती है।

(रोहित मित्तल)
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी,
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,
धौलपुर।

अभियान का आगाज

ऐतिहासिक स्थलों पर योगाभ्यास

शाहपुरा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में वन विभाग शाहपुरा द्वारा करोलाई तालाब ढिकोला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिसमे तालाब क्षेत्र में पॉलीथिन सफ़ाई कर तालाब को प्लास्टिक मुक्त का कार्य किया और तालाब में श्रमदान का कार्य किया गया । मौके पर उपस्थित लोगों को जल संरक्षण हेतु शपथ दिलाई गई ।

बूंदी। एकादश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आमजन को योगाभ्यास के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योग काउंटडाउन एट हेरिटेज अभियान जारी है।

इस अभियान के तहत आज योग फॉर निरोगी बूंदी की टीम ने शहर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों – नवलसागर झील, जेतसागर झील और सुखमहल पर योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। मुख्यमंत्री की मंशानुरूप जिले के धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर योगाभ्यास आयोजित करने के निर्देशानुसार, जिला कलक्टर अक्षय गोदारा के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है।

- **अभियान के तहत आज योग फॉर निरोगी बूंदी की टीम ने योग किया**

अभियान प्रभारी एवं जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी के पीएमओ डॉ. सुनील कुशवाह के नेतृत्व में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. विमला परमार और योग प्रशिक्षकों दीपक गुर्जर, भूपेन्द्र योगी, चांदनी वरयानी, शक्ति तोषनीवाल, सरला कुशवाह, पूजा खत्री, प्रांशु सिंह गहलोत, शिखर पंचौली, अश्विनी शर्मा कूक्की, रविन्द्र गुर्जर और रामलक्ष्मण मीणा सहित 25 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया।

राशिफल गुरूवार 12 जून, 2025

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, मूल नक्षत्र रात्रि 9:57 तक, शुभ योग दिन 2:05 तक, कौलव करण दिन 2:28 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–वृष, चन्द्रमा–धनु, मंगल–सिंह, बुध–मिथुन, गुरू–मिथुन, शुक्र–मेष, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज ज्वालामुखी योग दिन 2:28 तक है। आज गुरू हरगोविन्द जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:19 तक, चर 10:44 से 12:26 तक, लाभ अमृत 12:26 से 3:51 तक, शुभ 5:34 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:31, सूर्यास्त 7:16

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है।

वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज परिवार में अनावश्यक धन खर्च होगा।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

सिंह
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। ईर्ष्या–वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

कन्या
घर–परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव–प्रभुत्व बढ़ेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

धनु
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

मीन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्यों में उचित